

उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय), झज्जर

बाग जॉहआरा स्टेडियम, नजदीक DSP Residence, झज्जर

दुरभाष 01251-257258 e-mail:- dfojajjar@rediffmail.com,dfojajjar@gmail.com

क्रमांक:- 660

दिनांक:- 22/8/2019

सेवा में:- नोडल ऑफिसर (एफ सी)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा पंचकूला।


विषय:- **Diversion of 6.6336Ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD(B&R) Bahadurgarh for construction of Northern Bypass of Bahadurgarh Town on the the bank of West Jua Drain form Kharkhauda-Assaudha Road to Nahra Bahadurgarh Road, Under Forest Division and Distt. Jhajjar. (Proposal No. FP/HR/Road/38638/2019)**

संदर्भ:- आपका पत्रांक प्रशा-डी-तीन-8902/1263 दिनांक 29.07.2019

--◇◇--

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में सी0ए0 साईट से सम्बन्धित डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड करने बारे आपति उठाई गई है(प्रति. सलंगन)। कृपया सी0ए0 साईट का डी0जी0पी0एस0 मैप मुख्यालय कार्यालय से तैयार करवाकर अपलोड करने का कष्ट करे। सी0ए0 साईट, सर्वे सीट तथा अन्य सूचना इस कार्यालय द्वारा पहले ही अपलोड कर दी गई है।

सलंगन/उपरोक्त


(राज कुमार, भा0व0से0)
उप वन संरक्षक,
झज्जर।



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



साइल नम्बर : 9-HR070/2019-CHA

दिनांक : 09.08.2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 6.6336 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD (B&R), Bahadurgarh for construction of Northern Bypass of Bahadurgarh Town on the banks of West Jua Drain from Kharkhanda-Assaudha road to Nahra-Bahadurgarh road, under Forest Division and District Jhajjar, Haryana (online proposal no. FP/HR/ Road/38638/2019)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8902/1263 दिनांक 29.07.2019.

महोदय,

मुझे आपका शान्त उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 6.6336 ha वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

i) KML file, DGPS map and SOI toposheet of the CA site be uploaded under column 13(i), (iii) and (iv) of part -II for DSS analysis.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात, 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

(एस०डी० शर्मा)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. Divisional Forest Officer, Forest Division and District Jhajjar, Haryana
2. The Executive Engineer, Provincial Division, PWD (B&R), Bahadurgarh